रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

Manual Andrew The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 870] No. 870] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 24, 2008/आषाढ़ 3, 1930 NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 24, 2008/ASADHA 3, 1930

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 24 जून, 2008

का.आ. 1539(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के आदेश संख्यांक का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 में निम्निलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा । में "चार वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "छ: वर्ष और आठ मास की अवधि के लिए" शब्द रखे जायेंगे ।

[फा. सं. जैड-20018/1/99-सी.पी.ए.]

आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र में का.आ. 489(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2003 द्वारा प्रकाशित किया गया था और का.आ. 56(अ), तारीख 14 जनवरी, 2005 और का.आ. 253(अ), तारीख 19 फरवरी, 2007 द्वारा उसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

ORDER

New Delhi, the 24th June, 2008

S.O. 1539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 489(E), dated the 30th April, 2003, namely:—

In the said order, in paragraph 1, for the words "for a period of four years and eight months", the words "for a period of six years and eight months" shall be substituted

[F. No. Z-200] 8/1/99-CPA

R. K. VAISH, Jt. Secs

Note: The principal Order was published in the Gazette c India vide number S.O. 489(E), dated 30th April, 2003 an subsequently amended vide S.O. 56(E), dated 14th Januar 2005 and S.O. 253(E), dated 19th February, 2007.